

भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग-I खंड-I में प्रकाशनार्थ

फा.सं. 6/1/2023-डीजीटीआर
भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य कर विभाग
(व्यापार उपचार महानिदेशालय)
जीवन तारा बिल्डिंग, 5 संसद मार्ग, नई दिल्ली - 110001

दिनांक: 22 मई, 2024

शुद्धिपत्र अधिसूचना
मामला सं. एडी (ओआई) -1/2023

विषय: चीन जन. गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "401 व्यास (99 एमएम) और 300 व्यास (73 एमएम) के माप के इलेक्ट्रोलाइटिक टिन प्लेट (ईटीपी) सहित ईजी ओपन एंड ऑफ टिन प्लेट" के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच।

समय-समय पर संशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 और समय-समय पर संशोधित सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं पर एंटी-डंपिंग शुल्क की पहचान, आकलन और संग्रहण तथा क्षति का निर्धारण) नियम, 1995 को ध्यान में रखते हुए, निर्दिष्ट प्राधिकारी विषयगत मूल एंटी-डंपिंग जांच के संबंध में अधिसूचना संख्या 6/1/2023-डीजीटीआर दिनांक 28 मार्च, 2024 के माध्यम से जारी अंतिम निष्कर्ष अधिसूचना में निम्नलिखित सुधार करते हैं।

2. उक्त अधिसूचना के पैराग्राफ 4 (7), 11 में तथा शुल्क तालिका में पैराग्राफ 119 में विषयगत वस्तुओं के लिए "8309 90 20" के रूप में दिए गए सीमा शुल्क उपशीर्षक को प्रतिस्थापित कर "8309 90 90" पढ़ा जाएगा।


(अनन्त स्वरूप)
निर्दिष्ट प्राधिकारी